सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 18, मंगलवार, शाके 1943-नवम्बर 09, 2021 *Kartika 18, Tuesday , Saka 1943- November 09, 2021*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 09, 2021

संख्या प.10(23)**नविवि**/3/2011 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम**, 1959** के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम**, 1962** के नियम-**4** के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-**7** के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांकः प.**10(23)**नविवि/**3/2011** दिनांक **04.03.2013** द्वारा अलवर के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-**2031** राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

अधिसूचना क्रमांक प.**10(23)**नविवि/**3/2011** दिनांक **04.05.2018** के द्वारा अलवर मास्टर प्लान-**2031** का क्षितिज वर्ष **2051** तक बढाया गया है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम**, 1959** की धारा **7** के अनुसरण में यह नोटिस दिया गया है कि अलवर के नगरीय क्षेत्र हेतु अनुमोदित मास्टर प्लान **2051** में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त मास्टर प्लान में किये गये संशोधन का अवलोकन नगर विकास न्यास**,** अलवर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
नवनीत कुमार,
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय।

2510

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।